कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004
Email:- heschlor@mp.gov.in

क्रमांक 259/33/आउशि/छा/2024 भोपाल दिनांक 5 /04/2024

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त शासकीय विश्वविद्यालय,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

विषयः– **MPTAAS Portal, NIC Portal 2.0** पर पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजनांतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022–23, 2023–24 के आवेदन हेतु पोर्टल खोलने के संबंध मे।

संदर्भः–कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 2024–25/शिक्षा–1/78 दिनांक 04.04.2024

––00––

उपरोक्त विषय में लेख है सदर्भित पत्र में **MPTAAS Portal, NIC Portal 2.0** पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजनांतर्गत आवेदन करने से वंचित विद्यार्थियों को आवेदन एवं प्रवेश डाटा को अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है जिसमें सत्र 2022–23 हेतु अंतिम दिनांक 30.04.2024 एवं सत्र 2023–24 हेतु दिनांक 15.05.2024 निर्धारित की गई है। अतः निर्देशित किया जाता है कि :–

1. सत्र 2022–23 एवं 2023–24 में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का एमपीटास पोर्टल पर अपलोड होने से शेष प्रवेश एवं शुल्क डाटा कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षणिक विभागों से दिनांक 16.04.2024 तक प्राप्त किया जाए।
2. कुलसचिव कार्यालय/छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा द्वारा प्राप्त डाटा का परिक्षण कर डाटा में पाए जाने वाली त्रुटियों में सुधार कर डाटा साफ्ट एवं हार्ड कॉपी में तैयार किया जाएगा।
3. छात्रवृत्ति प्रभारी समस्त प्रवेश डाटा, शुल्क डाटा एवं शुल्क डाटा में संशोधन की जानकारी वर्षवार निर्धारित प्रारूप में लेकर दिनांक 18.04.2024 से 25.04.2024 के मध्य कार्यालयीन समय में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा में उपस्थित होकर पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चि करेंगे तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि विश्वविद्यालय का उक्त सत्रों को संपूर्ण डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

अतः समय सीमा में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे। समय सीमा में कार्यवाही नही करने के कारण विद्यार्थियों के लाभ वंचित होने पर संपूर्ण दायित्व संबंधित विश्वविद्यालय का होगा।

5/4

(निशांत वरवडे)
आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.

पृ.क्रमांक 260/33/आउशि/छा/2024, भोपाल,दिनांक 5 /04/2024
प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।

आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.